न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :– यू0डी0खान
आई.ए.एस.

अपील संख्या 141 / 2020

1. रफीक पुत्र मजीद, जाति काजी, निवासी वार्ड न0 17, चिडावा, तहसील चिडावा, जिला झुंझुनूं।
2. शहनाज पत्नि रफीक, जाति काजी, निवासी वार्ड न0 17, चिडावा, तहसील चिडावा, जिला झुंझुनूं।

— अपीलान्ट

बनाम

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी चिडावा एवं एस0डी0एम0 चिडावा, जिला झुंझुनूं।

— रेस्पोडेन्ट

—

अपील अ0 धारा 17 बी The Rajasthan Municipalties Registration of Reectires 1974 खिलाफ आदेश दिनांक 09.07.2020 निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी नगर पालिका चिडावा एवं एस0डी0एम0 चिडावा बाबत अपीलान्टगण का नाम नगरपालिका चिडावा के वार्ड नम्बर 17 की मतदाता सूची मे स्थानान्तरण बाबत।

—

उपस्थित

1. मो0 खादीम, एडवोकेट– अपीलांट की ओर से
2. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक– रेस्पोडेन्ट की ओर से

आदेश

दिनांक 19.10.2020

उक्त विषयक अपील विद्वान निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एस0डी0एम0) चिडावा के आदेश के विरूद्व प्रस्तुत की गई है। अपील अपीलान्टगण के अनुसार अपीलान्टगण नगरपालिका चिडावा के वार्ड नं0 17 के मूल निवासी है। रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 ने गलत रूप से अपीलान्टगण का नाम वार्ड नम्बर 17 नगरपालिका चिडावा की मतदाता सूची मे स्थानान्तरण कर नही जोडा जिससे छुब्ध होकर अपीलान्टगण ने निम्न आधार पर अपील पेश की है कि अपीलान्टगण वार्ड नम्बर 17 के मूल निवासी है। अपीलान्टगण का नाम निर्वाचन नामावली मे गलत रूप से वार्ड नम्बर 6 की वोटर लिस्ट मे दर्ज कर दिया गया था। जबकि अपीलान्टगण वार्ड नम्बर 6 मे नही रहते है एवं ना ही उनका वार्ड नम्बर 6 मे कोई मकानात् है। अपीलान्टगण ने अपने आवासीय वार्ड नम्बर 17 मे अपने नाम स्थानान्तरण करवाये जाने बाबत विधिवत् प्रारूप मे दस्तावेज सहित रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 के कार्यालय मे बी0एल0ओ0 के मार्फत जमा करवाये थे। किन्तु रेस्पोडेन्ट ने बिना दस्तावेजों का अवलोकन किये ही अपीलान्टगण का आवेदन खारिज कर वार्ड नम्बर 6 की मतदाता सूची मे क्रमशः 546, 549 पर यथावत कर दिया, जबकि अपीलान्टगण वार्ड नम्बर 17 के मूल निवासी है। अपीलान्टगण के रिहायश बाबत हल्का पटवारी द्वारा बिना भौतिक सत्यापन किये महज यह लिख देना कि अपीलान्टगण वार्ड नम्बर 6 मे रहते है, पर्याप्त नही है जबकि अपीलान्टगण वार्ड नम्बर 17 मे रहते है जहां आवासीय मकान है एवं तमाम दस्तावेज वार्ड नम्बर 17 पुराना वार्ड नम्बर 10 के ही है। किन्तु रेस्पोडेन्ट ने बिना दस्तावेजों पर गौर किये अपीलान्टगण का नाम वार्ड नम्बर 17 की निर्वाचन नामावली के लिए स्थानान्तरण नही कर भारी भूल की है। अतः अपील मय शपथ पत्र पेश कर अर्ज है कि अपील

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

अपीलान्टगण स्वीकार फरमाई जाकर अपीलान्टगण का नाम नगरपालिका के वार्ड नम्बर 6 के क्रमांक 546, 547 से वार्ड नम्बर 17 मे स्थानान्तरित किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करे।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने बहस के दौरान अपील तथ्यों की पुनरावर्ती की तथा तर्क प्रस्तुत किया कि अपीलान्टगण वार्ड नम्बर 17 के मूल निवासी है। अपीलान्टगण का नाम निर्वाचन नामावली मे गलत रूप से वार्ड नम्बर 6 की वोटर लिस्ट मे दर्ज कर दिया गया था। जबकि अपीलान्टगण वार्ड नम्बर 6 मे नही रहते है एवं ना ही उनका वार्ड नम्बर 6 मे कोई मकानात् है। अपीलान्टगण ने अपने आवासीय वार्ड नम्बर 17 मे अपने नाम स्थानान्तरण करवाये जाने बाबत विधिवत् प्रारूप मे दस्तावेज सहित रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 के कार्यालय मे बी0एल0ओ0 के मार्फत जमा करवाये थे। किन्तु रेस्पोडेन्ट ने बिना दस्तावेजों का अवलोकन किये ही अपीलान्टगण का आवेदन खारिज कर वार्ड नम्बर 6 की मतदाता सूची मे क्रमशः 546, 547 पर यथावत कर दिया। अपीलान्टगण के रिहायश बाबत हल्का पटवारी द्वारा बिना भौतिक सत्यापन किये महज यह लिख देना कि अपीलान्टगण वार्ड नम्बर 6 मे रहते है, पर्याप्त नही है जबकि अपीलान्टगण वार्ड नम्बर 17 मे रहते है जहां आवासीय मकान है एवं तमाम दस्तावेज वार्ड नम्बर 17 पुराना वार्ड नम्बर 10 के ही है। किन्तु रेस्पोडेन्ट ने बिना दस्तावेजों पर गौर किये अपीलान्टगण का नाम वार्ड नम्बर 17 की निर्वाचन नामावली के लिए स्थानान्तरण नही कर भारी भूल की है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलान्ट्स के नाम नगर पालिका चिडावा के वार्ड नम्बर 6 से हटाकर वार्ड नं0 17 की मतदाता सूची मे जोडे जावे।

विद्वान राजकीय अभिभाषक (वकील रेस्पोडेन्ट) ने बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट के तर्को का विरोध किया तथा तर्क प्रस्तुत किया कि अदालत मातहत का आदेश नियमानुसार है। अदालत मातहत ने बी0एल0ओ0 द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट के अनुसार सही आदेश किया है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज करने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। अपील का निर्णय गुणावगुण के आधार पर करने की दृष्टि से प्रा0प0 दफा 5 मि0अ0 स्वीकार किया जाता है। बी0एल0ओ0 की रिपोर्ट के अनुसार अपीलान्ट्स नगर पालिका चिडावा के वार्ड न0 6 मे ही निवास करते है। अपीलान्ट ने वार्ड न0 17 मे निवास करने या दस्तावेज होने का कोई दस्तावेजी साक्ष्य/सबूत पेश नही किया है। ऐसी स्थिति मे अदालत मातहत निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एस0डी0एम0) चिडावा द्वारा पारित आदेश उचित है। अतः अपील का निर्णय मैरिट के आधार पर किया जाकर अपील अपीलान्ट्स खारिज की जाती है एवं अदालत मातहत का निर्णय यथावत रखा जाता है। मातहत रेकार्ड आदेश प्रति सहित लौटाया जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 19.10.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(यू0डी0खान)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं
जिला कलक्टर झुन्झुनू